दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA Rs.10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

1–प्रभुदयाल तनय नाथूराम चौबे, 2– रामकिशोर तनय नाथूराम चौबे

निग/3971-II-15

3– मुकेश तनय प्रभुदयाल चौबे ,

श्रीमती रजनी ... द्वारा आज दि. 14/12/15 को प्रस्तुत

निबासी ग्राम ततारपुरा, तहसील पृथ्वीपुर , जिला टीकमगढ़

..............**आवेदकगण**

वनाम

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0 प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़

.... **अनावेदकगण**

R.V. 14/12/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह किं आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी माहोदय जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 125/अपील/2013–14 में पारित आलोच्य आ0दि0 10/11/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

14.12.15

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण को बर्ष 1996–97 में ग्राम लार खुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 353 रकवा 4.047 है0 भूमि का ब्यवस्थापन तहसीलदार जतारा द्वारा किया गया था। तदुपरांत आवेदकगण का उपरोक्त भूमि पर नाम दर्ज हो गये थे तथा बे उस पर तभी से कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। बाद में सन 2005 में उपरोक्त भूमि का बंटवारा भी उनके द्वारा तहसीलदार जतारा के न्यायालय से कराया गया था। तदुपरांत उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बिक्रय पत्र आवेदकगण द्वारा हरबल तनय संभर सिंह , पुष्पेंन्द्र तनय हरबल सिंह , गिरजा पत्नि हरबल सिंह को कर दिया गया था, तथा उनके नाम भी उपरोक्त वादभूमि पर दर्ज हो गये थे तथा कब्जा भी सौंप दिया गया था।

(114)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 397/–दो/15 **जिला** –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 125/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10.11.15 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2– आवेदकगण के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित तथा अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। 3– आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी में लेख किया गया है कि आवेदकगण को वर्ष 1996–97 में ग्राम लार खुर्द में स्थित भूमि खसरा न0 353 रकवा 4.047 है0 भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार जतारा द्वारा किया गया था। आवेदकगण तभी उपरोक्त भूमि पर नाम दर्ज हो गये थे तभी से उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। बाद में 2005 में उपरोक्त भूमि का बटवारा भी उनके द्वारा तहसीलदार जतारा के न्यायालय से कराया गया था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र आवेदकगण द्वारा हरबल, पुष्पेन्द्र, एवं गिरजा कोकर दिया गया था, तथा उनके नाम भी उपरोक्त वादभूमि पर दर्ज हो गये हैं।	

4- हल्का पटवारी जरूआ द्वारा आवेदकगण से द्वैसभावना होने के कारण एक प्रतिवेदन तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा लार स्थित कृषि भूमि खसरा न0 353 का बंदोबस्ती बिक्रमी संबत 2000 का रकवा 24.66 एकड़ अर्थात 9.980 है0 था जिसमें से कुछ रकवा फर्जी तरीके से 1991-92 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कुछ लोगों के नाम से दर्ज हो गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा 115 के तहत प्रकरण क्रमांक 21/अ-6/अ/13-14 दर्ज करके आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर ही आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्को को नजर अंदाज करके अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.14 के द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों को नजर अंदाज करके वादग्रस्त भूमि खसरा न0 353/3 एवं 353/4 पर एवं अन्य खातेदारों की भूमि पर म0प्र0 शासन दार्ज करने का आदेश पारित दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो कि उनके द्वारा निरस्त कर दी गई। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

5- आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा निगरानी के

साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में उन्हीं आधारों को उठाया गया है, जो कि निगरानी मेमो में लेख किये गये हैं ।

6– अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित प्रश्नाधीन संलग्न आदेशों का अवलोकन आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में किया गया। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ ग्राम लार खुर्द स्थित भूमि खसरा न0 353/2 रकवा 4.047 है0 के खसरा पांचसाला वर्ष 1993 से लगातार 2013–14 तक की करीब 21 साल की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनका अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1993 से आवेदकगण का नाम उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अनवरत दर्ज है। इन्हीं खसरा नंबरों में सन् 2004–05 के खसरा का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी क0–5 आदेश दिनांक 01.04.05 के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बटवारा तहसीलदार द्वारा कर दिया गया है तथा खसरा न0 353/3/1 आवेदक प्रभूदयाल तनय नाथूराम के नाम पर दर्ज हो गया है, इसी प्रकार खसरा नंबर 353/3/2 रामकिशोर तनय नाथूराम के नाम दर्ज हो गया है, तब भी उपरोक्त नामांतरण की बैद्यता की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं की गई ना ही

पटवारी द्वारा तत्संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। इसी प्रकार इसी खसरा नंबर वर्ष 2013-14 का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त भूमि का विक्रय कर दिया गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश क्रमशः 18.11.13 एवं 17.11.13 के द्वारा उपरोक्त भूमि का नामांतरण भी बिक्रेताओं के नाम हो चुका है, तब भी उपरोक्त नामांतरण की बैद्यता की जांच नहीं की गई ना ही पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि पटवारी एवं तहसीलदार को उपरोक्त नामांतरणों की जानकारी थी, किन्तु वर्तमान में आलोच्य कार्यवाही दुर्भावना पूर्वक किया जाना प्रतीत होती है।

7- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रमुख रूप से तर्क उठाया गया है कि तहसीलदार द्वारा संहिता धारा 115 के तहत नामांतरण के करीब 25 साल बाद कार्यवाही की गई है। जबकि 115 के तहत मात्र एक साल से अधिक की त्रुटि को नहीं सुधारा जा सकता है। संहिता की धारा 115 के अनुसार " यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके किसी अधिनस्थ पदाधिकारी द्वारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ

करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल सही से करने का निर्देश देगा"। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित है, तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को ना तो पक्षकार बनाया गया है, ना ही उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देना पाया जाता है। जबकि 1991 से आवेदकगण का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। तहसीलदार द्वारा पुराना अभिलेख खसरा, मिशल बंदोवस्त का भी अपने समक्ष बुलाकर अवलोकन करना आदेश में नहीं पाया जाता है। तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में ना तो पटवारी के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं, ना ही आवेदकगण के कथन या किसी अन्य पक्षकार के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं। कार्यवाही प्रकिया बिहीन है। संपूर्ण कार्यवाही मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी नजर अंदार किया गया है।

8- मेरे मतानुसार तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित होने एवं विधि, प्रक्रिया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत काफी लंबे समय बाद होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः आवेदकगण

द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 125/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक10.11.15 एवं तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ-6/अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 28.6.14 निरस्त किये जाते हैं। अनावेदकगण का नाम यथावत वादभूमि दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। चूंकि इस आदेश से परिवेदित होकर मात्र आवेदकगण द्वारा ही निगरानी प्रस्तुत की गई हैं, इसलिये यह आदेश मात्र उनके द्वारा धारित भूमि पर ही लागू होगा, अन्य पर नहीं। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे

सदस्य